न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – अतुल प्रकाश, आई०ए०एस० (प्रशिक्षु)

प्रकरण संख्या : 210 / 09 RCMS id : 1998 / 00007
First Registered On : 29-07-1998

राजेन्द्र कुमार आत्मज श्री गेन्दीलाल, जाति जैन महाजन, निवासी ग्राम रानपुर, जिला कोटा
–(वादी)

बनाम

भैरूलाल आत्मज जीताराम कोली, निवासी ग्राम गोबरिया बावडी, तहसील लाडपुरा, कोटा
– (प्रतिवादी)

——— ——— ——— ——— ——— ———

प्रकरण संख्या : 208 / 09
First Registered On : 15-12-1988

भैरूलाल आत्मज जीताराम, जाति कोली, निवासी ग्राम गोबरिया बावडी, तहसील लाडपुरा, कोटा
–(वादी)

बनाम

राजेन्द्र कुमार आत्मज श्री गेन्दीलाल, जाति जैन, निवासी द्वारा राजेन्द्र जनरल स्टोर, घोसियों का मोहल्ला, गुमानपुरा, कोटा
– (प्रतिवादी)

वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

दिनांक : 11.03.2020

उपस्थिति : श्री हुकमचन्द जैन, अभिभाषक राजेन्द्र

निर्णय

1. यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत बाबत बेदखली आराजी एवं दिलाये जाने कब्जा प्रस्तुत किया गया है।
2. ○ प्रकरण संख्या 210 / 09 के वादी (राजेन्द्र) द्वारा अपना वाद पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम रानपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में वादी एवं वादी के भाई श्री भंवरलाल तथा बहिने श्रीमती भंवरी बाई व बदाम बाई के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 1417 की 3.11 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है। वादी उपरोक्त भूमि का टेनेन्ट है। राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में वादी उपरोक्त भूमि का खातेदार दर्ज है। श्रीमती भंवरीबाई का स्वर्गवास हो चुका है। उनके उत्तराधिकारी वादी एवं श्री भंवरलाल है। इसके अतिरिक्त ग्राम रानपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में वादी के खाते में खसरा नम्बर 1416 रकबा 3.23 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है। राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में वादी का नाम बहैसियत गैरखातेदार दर्ज है। वादी के खाते की खसरा

Scanned by CamScanner

नम्बर 1416 व 1417 से लगी हुई प्रतिवादी की आराजी खसरा नम्बर 1418, 1419, 1418/1635 कुल किता 3 रकबा 4.05 हैक्टर भूमि स्थित है। सेटलमेन्ट से पूर्व प्रतिवादी के खाते में 25 बीघा कृषि भूमि थी। प्रतिवादी ने लगभग 10 वर्ष पूर्व वादी के खाते की आराजी खसरा नम्बर 1417 व 1416 की भूमि में से करीब 1 बीघा भूमि पर प्रतिवादी ने गैरकानूनी व अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है। प्रतिवादी का उपरोक्त भूमि पर कोई हक व अधिकार नहीं है तथा प्रतिवादी उपरोक्त भूमि पर अतिक्रमी के रूप में काबिज है एवं काबिल बेदखली है। सम्माननीय न्यायालय के आदेशानुसार नायब तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा दिनांक 31.12.1996 को उभयपक्षों की मौजूदगी में पैमाईश की गई थी। उसमें भी प्रतिवादी का वादी की 0.10 हैक्टर (10 एयर) भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री सादर फरमाई जावे कि प्रतिवादी का आराजी खसरा नम्बर 1416 व 1417 की 1 बीघा अथवा जितनी भूमि पर अतिक्रमण पाया जावे, उससे प्रतिवादी को बेदखल कर वादी को कब्जा दिलाया जावे।

- प्रतिवादी (भैरूलाल) ने जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि प्रतिवादी ने वादी की किसी भूमि पर कब्जा नहीं किया बल्कि स्वयं वादी ने प्रतिवादी की खातेदारी की भूमि पर अतिक्रमण किया है।प्रतिवादी अपनी भूमि पर बदस्तूर काबिज चला आ रहा है तथा अपने कब्जे की भूमि पर बाउण्डरी बना रखी है। वादी ने भी अपनी भूमि पर बाउण्डरी बना रखी है। नाब तहसीलदार द्वारा की गई पैमाईश ठीक नहीं है। प्रतिवादी मौके पर पैमाईश करवाने का तैयार है। अतः निवेदन है कि वाद वादी सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

3. • प्रकरण संख्या 208/09 के वादी (भैरूलाल) ने अपना वाद पेश कर निवेदन किया कि वादी एक अनुसूचित जाति का सदस्य है। वादी की खातेदारी में ग्राम रानपुर, तहसील लाडपुरा में खसरा नम्बर 1418, 1419, व 1418/1635 कुल किता 3 की 4.05 हैक्टर भूमि स्थित है। वादी के पास प्रतिवादी के खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1416 की 3.23 हैक्टर भूमि स्थित है। प्रतिवादी ने वादी की 10 हेयर भूमि पर अनाधिकृत तौर पर कब्जा कर लिया है। तहसील में प्रार्थना पत्र पेश कर भूमि का नाप करवाने पर पाया गया कि प्रतिवादी ने वादी के खसरा नम्बर 1418 की 10 हेयर भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। इसके उपरान्त वादी ने प्रतिवादी से कब्जा छोडने को कहा तो प्रतिवादी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी को वादी के खसरा नम्बर 1418 की 10 हेयर भूमि से बेदखल कर वादी को कब्जा संभलाया जावे।

- प्रतिवादी (राजेन्द्र) ने जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी ने वादी के 10 हेयर भूमि अथवा किसी भी रकबे पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। वादी ने भूमि की नाप बाबत जो कथन किया है वो प्रतिवादी की मौजूदगी में नहीं कराई गई है। वादी ने ही प्रतिवादी की आराजी खसरा नम्बर 1416, 1417 की मेड से लगी हुई भूमि के लगभग 1 बीघा पर कब्जा कर रखा है। अतः खसरा नम्बर 1416, 1417, 1418 की पैमाईश की जाकर दावे का निर्णय किया जावे।

Scanned by CamScanner

4. उपरोक्त दोनों प्रकरणों के पूर्व निर्णय दिनांक 31.10.2003 की पक्षकारान द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा में अपील पेश की गई जिसके निर्णय में विवादित आराजी की पैमाईश रिपोर्ट प्राप्त करके पुनः निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1416, 1417, 1418 की पैमाईश रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा द्वारा प्रेषित पैमाईश रिपोर्ट में अवगत कराया गया कि मौके पर उपस्थित राजेन्द्र के भाई भंवरलाल पुत्र गेन्दीलाल, जाति महाजन तथा भैरूलाल आत्मज जीताराम, जाति कोली स्वयं उपस्थित है। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष पक्षकारान की विवादित आराजी खसरा नम्बर 1416 की 3.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 1417 की 3.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 1418 की 1.61 हैक्टर, खसरा नम्बर 1418/1635 की 0.53 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 1419 की 1.91 हैक्टर की पैमाईश की गई। मौके पर की गई पैमाईश के मुताबिक प्रार्थी व अप्रार्थी अपनी अपनी भूमि पर ही काबिज है। किसी का भी एक दूसरे की भूमि पर कब्जा नहीं है। दौराने पैमाईश मौके पर निशानात चिन्हित किये गये तथा मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये गये। इनमें उभयपक्ष के भंवरलाल व भैरूलाल के हस्ताक्षर भी मौजूद है।

5. पैमाईश रिपोर्ट प्राप्त होने पर पक्षकार भैरूलाल के अभिभाषक द्वारा तहसील रिपोर्ट के अनुसार प्रकरणों का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। पक्षकार राजेन्द्र के अभिभाषक ने अपने पक्षकार की ओर से No Instruction Pledged किया गया किन्तु उनके द्वारा अपने पक्षकार से सम्पर्क करने हेतु किये गये प्रयासों सम्बन्धी कोई साक्ष्य अथवा रजिस्टर्ड डाक की कोई रशीद पेश नहीं की गई है। फलस्वरूप हमने दोनों वाद पत्रों, उनके जवाब दावों, पूर्व निर्णयों तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। साथ की दोनों प्रकरणों के परिप्रेक्ष्य में तहसील से प्राप्त पैमाईश रिपोर्ट पर मनन किया गया। उपरोक्त दोनों प्रकरणों में पक्षकारों द्वारा एक दूसरे को आरोपित किया है कि उन्होने, उनकी आराजी पर अतिक्रमी के रूप में कब्जा कर लिया है जिसे बेदखल किया गया। पैमाईस रिपोर्ट अनुसार पक्षकार राजेन्द्र व भैरूलाल अपने अपने की खाते की भूमि पर ही काबिज काश्त है तथा किसी का भी एक दूसरे की भूमि पर कब्जा नहीं है। किसी भी प्रतिवादी का, वादी के खाते की आराजी पर कोई अनाधिकृत कब्जा नहीं है। अनाधिकृत कब्जे के अभाव में पक्षकारों के विवाद का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। अतः प्रतिवादी का वादी की विवादित आराजी पर अनाधिकृत कब्जा नहीं होने तथा दोनों वाद वादी धारा 183 R.T.A. के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

5. यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया एवं टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 11 मार्च, 2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

11/3/2020

(अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी– अतुल प्रकाश, I.A.S. (P)

प्रकरण संख्या : 210 / 09 RCMS id : 1998 / 00007
First Registered On : 29-07-1998

राजेन्द्र कुमार आत्मज श्री गेन्दीलाल, जाति जैन महाजन, निवासी ग्राम रानपुर, जिला कोटा
–(वादी)

बनाम

भैरूलाल आत्मज जीताराम कोली, निवासी ग्राम गोवरिया बावडी, तहसील लाडपुरा, कोटा
– (प्रतिवादी)

प्रकरण संख्या : 208 / 09
First Registered On : 15-12-1988

भैरूलाल आत्मज जीताराम, जाति कोली, निवासी ग्राम गोवरिया बावडी, तहसील लाडपुरा, कोटा
–(वादी)

बनाम

राजेन्द्र कुमार आत्मज श्री गेन्दीलाल, जाति जैन, निवासी द्वारा राजेन्द्र जनरल स्टोर, घोसियों का मोहल्ला, गुमानपुरा, कोटा
– (प्रतिवादी)

दावा बाबत : 88, 89, 188 RTA
निर्णय दिनांक : 11-03-2020

न्यायालय हाजा में भैरूलाल की ओर से अभिभाषक श्री हुकमचन्द जैन की उपस्थिति में पैमाईश रिपोर्ट पर बहस सुनने के बाद आज तारीख 11–03–2020 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री अतुल प्रकाश, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) के समक्ष पेश होने पर प्रतिवादी का वादी की विवादित आराजी पर अनाधिकृत कब्जा सिद्ध नहीं होने तथा दोनों वाद वादी धारा 183 R.T.A. के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 11.03.2020 को जारी की गई।

11/3/2020
(अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर, कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		

Scanned by CamScanner